जगन्नाथपुरी धाम, वाराणसी, अयोध्या, इलाहाबाद यात्रा व मकर संक्रान्ति पर गंगासागर स्नान

यात्रा प्रारम्भ: 10 जनवरी 2023

यात्रा समय: 10 दिन

दिनांक	स्टेशन	दर्शनीय स्थल
पहला दिन	दिल्ली	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर 4 बजे के बाद शुभ प्रस्थान।
दूसरा दिन	❑ अयोध्या	सरयू स्नान, रामजन्म भूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सीता रसोई, मनीराम छावनी।
तीसरा दिन	❑ वाराणसी	गंगास्नान, काशी विश्वनाथ ज्योर्तिलिंग दर्शन, अन्नपूर्णा मन्दिर, तुलसी मानस मन्दिर दर्शन।
पांचवां दिन	❑ गंगासागर	गंगा सागर महातीर्थ स्नान, कपिलदेव भगवान के दर्शन (कोलकाता से बस द्वारा गंगासागर प्रस्थान)।
छठवां दिन	❑ कोलकाता	गंगा स्नान, काली देवी मन्दिर, हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल।
सातवां दिन	जगन्नाथपुरी धाम	जगन्नाथ मन्दिर, सिंहद्वार, अश्वद्वार, सागर स्नान। (मन्दिर की दूरी स्टेशन से केवल एक मील।)
आठवां दिन	❑ कोणार्क	सुप्रसिद्ध सूर्य मन्दिर के दर्शन (पुरी से बस द्वारा प्रस्थान)।
आठवां दिन	❑ भुवनेश्वर	महालिंगराज मन्दिर दर्शन (पूरी से बस द्वारा प्रस्थान)।
दसवां दिन	दिल्ली	दोपहर बाद मधुर स्मृतियों के साथ यात्रा समापन।

यात्रा किराया :- भोजन, चाय, नाश्ता, बस, स्टीमर, सहित थ्री टायर स्लीपर क्लास कोच का किराया **₹17,000/-** प्रति सवारी होगा। अग्रिम बुकिंग हेतु **₹1,001/-** नगद अथवा सुन्दर नगर ऑफिस सीताराम जी गुप्ता के बैंक खाते में जमा करवा दें। शेष धनराशि यात्रा प्रारंभ के समय गाड़ी में बैठने पर ली जायेगी। कृपया किताब के आखरी में दिए गए स्पेशल रेल यात्रा के नियम (पेज न0 18 और 19) को ध्यान पूर्वक पढ़ कर ही सीट बुक कराये।

श्री शिव शँकर तीर्थ यात्रा (रजि0) ऋषिकेश

Ph.: 0135-2431668, 9997846483, 94120 50868

www.tirthyatraindia.com shivstyc@gmail.com

स्पेशल रेल द्वारा यात्रा के सुविधाऐं।

घूमने के लिए बसों की व्यवस्था : ❑ चिन्हित स्थानों पर बसों की व्यवस्था संस्था के द्वारा होगी। यह बस यात्रियों को रेलवे स्टेशन से मन्दिर तक ले जायेगी तथा वहां से घुमाकर वापिस स्टेशन पर लायेगी। जिन स्थानों पर ❑ का निशान नहीं है वहाँ पर मन्दिरों की स्टेशन से दूरी नगण्य है इसलिए यात्री (स्वयं के खर्च से) पैदल अथवा रिक्शे से वहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार यात्रियों को पैदल बहुत कम चलना पड़ेगा।

भोजन एवं चाय नाश्ता: यात्रियों के लिए यात्रा काल में सुबह की बेड टी, चाय-नाश्ता व दोपहर एवं रात्रि भोजन। भोजन में एक दाल, एक सब्जी, चावल, रोटी का पूरा प्रबन्ध होगा। शाम को चाय दी जायेगी। रोटी, दाल एवं चावल में देशी घी का प्रयोग होगा एवं नाश्ता, सब्जी एवं पूरी में उत्तम क्वालिटी का रिफाइण्ड प्रयोग होगा। चावल बासमती दोनों समय बनाया जायेगा। समय की उपलब्धता के आधार पर यात्रियों को अचार, पापड़, मीठा, सलाद भी भोजन के साथ दिया जायेगा। प्याज व लहसुन का प्रयोग वर्जित होगा। भोजन, लकड़ी के चूल्हे में शुद्ध शाकाहारी बनाया जायेगा। दोपहर एवं रात्रि को खाने के साथ एक-एक मिनरल वाटर की बोतल यात्रियों को दी जायेगी ।

आवश्यक सामान साथ लावें: यात्री अपने साथ तीन पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर कार्ड व आधार कार्ड की फोटो कापी व ऑरिजनल साथ में अवश्य लावें। कृपया प्रत्येक यात्री अपने साथ में एक गिलास, एक चम्मच, प्लास्टिक की बाल्टी, मग्गा, टार्च व एक प्लास्टिक की सीट (3x3 फुट का) कपड़े धोने व नहाने के वास्ते, एक प्लास्टिक की रस्सी कपड़े सुखाने हेतु, बिस्तर (मौसम के अनुसार) अवश्य साथ में लायें।

सुरक्षा: यात्रियों के सामान की सुरक्षा हेतु चौकीदार की सुविधा, चाय, नाश्ता, भोजन बनाने वालों व घुमाने के लिए पर्याप्त व्यक्तियों का प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। कोई भी यात्री सोने व चांदी के जेवर पहनकर न आये। यात्राकाल के दौरान आर्थिक, शारीरिक क्षति एवं यात्री के सामान की जिम्मेदारी यात्री की स्वयं की होगी। व्यवस्थापक यात्रियों के नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा।

शयन सुविधा : रेल यात्रा में प्रत्येक यात्री को सोने के लिए पूरी बर्थ की व्यवस्था होगी। कम्पार्टमेन्ट में कोई तख्ता सीटों के बीच में नहीं लगाया जायेगा। प्रत्येक डिब्बा थ्री टायर स्लीपर क्लास होगा। यात्री अपने साथ (मौसम अनुसार) बिस्तर लायें। जहां पर ट्रेन नही होगी वहां यात्रियों के रात में ठहरने की व्यवस्था (गेस्ट हाउस/होटल) में समिति द्वारा की जायेगी।

सामान्य चिकित्सा एवं मोबाइल चार्जिंग सुविधा: हमारी यात्रा में केवल सामान्य चिकित्सा की ही व्यवस्था होगी। जो यात्री नियमित रूप से दवाई लेते हैं वे यात्री यात्रा प्रोग्राम के दिनो के अनुसार कृपया अपनी दवाईयां साथ में लावे। यात्रा काल में यात्री को आवश्यकता पड़ने पर यात्री के खर्चे पर अस्पताल/डाक्टर की व्यवस्था संस्था करायेगी। यात्रा काल में आकस्मिक दुर्घटना व प्राकृतिक आपदा से क्षतिपूर्ति के लिये यात्री स्वयं जिम्मेदार होगे। प्रत्येक डिब्बे के प्रत्येक केबिन में मोबाइल चार्ज हेतु बोर्ड लगा होंगा परन्तु मोबाइल सुरक्षा की जिम्मेदारी यात्री की स्वयं की होगी ।

वृद्धजन व अकेली महिला: हमारी यात्रा में अकेले वृद्धजन व महिलाएं भी आराम से यात्रा कर सकती हैं। क्योंकि यात्रा का माहौल घर-परिवार जैसा ही रहता है जिस कारण अकेलापन महसूस नहीं होगा।

L.T.C./L.F.C.: इसकी सुविधा प्राप्त करने वाले यात्रियों को यात्रा की रसीद, यात्रा का प्रमाण पत्र व रेलवे द्वारा यात्रा प्रोग्राम की कॉपी उपलब्ध करायेंगे परन्तु एल.टी.सी. दिलाने की जिम्मेदारी संस्था की नही होगी।

यात्रा किराया: यात्रियों को चाहिए कि प्रत्येक यात्री अपनी बकाया धनराशि देने के वास्ते अपने साथ नकद रूपया अथवा किसी भी बैंक का ड्राफ्ट/ चैक ''श्री शिवशंकर तीर्थ यात्रा (रजि0)'' के नाम पर ऋषिकेश शाखा का बनवाकर साथ में लावें।

यात्रियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

1. रेल यात्रियों की सूचनार्थ निवेदन है कि रेलवे द्वारा (भारतीय रेल सम्मेलन की कोंचिग दर सूची संख्या 24 भाग-1 के अध्याय 3 में अन्तर्निहित) आरक्षित सवारी डिब्बों की बुकिंग से सम्बन्धित नियम संख्या 305 (9) के अनुसार विशेष सवारी डिब्बों/सेलूनों/पर्यटक यानों की बुकिंग के लिए रियायत नहीं दी जायेगी। बच्चों, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों आदि से पूरा किराया लिया जायेगा। क्योंकि रेलवे पूरी बोगी का किराया एक मुश्त एक साथ ले लेती है। यात्रियों द्वारा मांग किये जाने पर इस नियम की प्रतिलिपि भेज सकते है या दिखा सकते है। रेलवे विभाग द्वारा स्पेशल यात्रा के वास्ते जो भी नियम बनाये गये हैं (सामान के वास्ते व रेलवे टाईम टेबिल के वास्ते) उनका पूर्ण रूप से यात्रियों को पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विवाद का न्यायक्षेत्र केवल ऋषिकेश (देहरादून) होगा। उपभोक्ता समिति के अन्तर्गत आने वाले विवाद का भी न्यायक्षेत्र ऋषिकेश (देहरादून) ही होगा।
2. यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी बुकिंग कराने के पश्चात् हैड ऑफिस में अवश्य सूचना दें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना ना हो। यात्री सीट बुक कराते समय संस्थापक स्व0 लाला शिवचरण लाल अग्रवाल का नाम, फोटो एवं यात्रा संस्था का नाम सावधानी पूर्वक पढ़कर ही सीट बुक करवायें।
3. प्रत्येक यात्री टाईम टेबल के अनुसार चलने को बाध्य होंगे, यदि किसी कारणवश कोई ग्रुप से अलग होता है तो अगले स्टेशन/गन्तव्य पर यात्री अपने खर्चे पर पहुचेगें।
4. संक्रमक रोगी, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अथवा झगडालू यात्री को यात्रा से पृथक करने का पूर्ण अधिकार व्यवस्थापक का होगा। मुद्रण में किसी भी प्रकार की त्रुटि के वास्ते क्षमा करें।
5. यदि कोई यात्री किन्हीं कारणवश अथवा अस्वस्थ होने की वजह से अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर घर वापिस आना चाहेगा तो उस अवस्था में यात्री को व्यवस्थापक की तरफ से केवल घर तक पहुंचाने हेतु रेलवे का द्वितीय श्रेणी का टिकिट ही दिया जायेगा। किराया वापसी किसी भी अवस्था में देय नहीं होगा। यह व्यवस्था केवल यात्रा समाप्ति के 5 दिन पूर्व तक लागू होगी।
6. यात्री अपने साथ असली फोटो पहचान पत्र, Vaccination Certificate व 2 पासपोर्ट साईज फोटो अवश्य साथ लावे जिससे रेलवे के नियमों के अनुरूप यात्रा पहचान पत्र बनवाया जा सके।
7. पत्र व्यवहार व सीट की बुकिंग करते समय यात्रीगण अपना नाम, उम्र, पूरा पता तथा मोबाइल न0 का भी उल्लेख करें जिससे जरूरत पड़ने पर सम्पर्क किया जा सके। अन्य कोई जानकारी व अपनी समस्याओं के निराकरण के वास्ते ऋषिकेश हैड-ऑफिस पर सम्पर्क करें।
8. यात्रा में ट्रेन की उपलब्धता, समय के आधार पर निर्भर होती है अतः रेल के देर से पहुँचने, फ्लाइट लेट होने / बस खराब होने/ रेलवे द्वारा बदलाव/ मौसम खराब होने/साप्ताहिक अवकाश/ बन्द/ रैली आदि के कारण सें किसी स्थान पर दर्शन ना होने पर संस्था/ व्यवस्थापक द्वारा कार्यक्रम में जो भी बदलाव किया जायेगा, यात्रियों से निवेदन है कि परिस्थतियों को समझते हुए उसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
9. यात्रा काल में मैनेजर यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश करेंगे परन्तु फिर भी यात्रा के दौरान थोड़ी असुविधा होना स्वाभाविक है। उस समय 'परदेश नरेश कलेशन' की कहावत के अनुसार तपस्या की भावना से उसे सहन करें व व्यवस्थापक को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
10. <u>यात्रा रद्द करने के नियमः</u>- यदि कोई यात्री अपनी सीट बुक कराकर किसी भी कारणवश सीट कैंसिल करवाना चाहे तो यात्रा की रवानगी की तारीख को छोड़कर उससे 12 दिन पूर्व तक लिखित सूचना देने पर सीट कैंसिल कर अग्रिम धनराशि (रेलवे रिर्जवेशन का कैंसिलेशन शुल्क काटकर) वापिस कर दी जायेगी। रवानगी की तारीख को छोड़कर उससे 12 दिन पूर्व तक लिखित सूचना प्राप्त नहीं होने पर अग्रिम धनराशि वापिस नहीं की जायेगी। यदि बुकिंग यात्रा दिनांक को छोड़कर अन्तिम 12 दिनों में ही की गई है और यात्री अपनी सीट केन्सिल करवाता है तो अग्रिम धनराशि वापिस नही की जायेगी। यदि यात्रा दिनांक का छोड़कर 5 दिन पूर्व तक यात्री द्वारा यात्रा निरस्त की जाती है तो उस स्थिति में यात्री से यात्रा का सम्पूर्ण किराया लेने का कानूनी रूप से अधिकार संस्था को होगा। इसमें किसी भी प्रकार की रियायत नही होगी।